



भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड

HINDUSTAN COPPER LIMITED

CIN No. : L27201WB1967GO1028825

पंजीकृत एवं प्रधान कार्यालय
Registered & Head Office

ताम्र भवन TAMRA BHAVAN
1, आशुतोष चौधरी एवेन्यु
1, Ashutosh Chowdhury Avenue,
कोलकाता KOLKATA-700 019

सं. HCL/SCY/SE/ 2022

19 मई 2023

वरिष्ठ महाप्रबंधक
निगमित सेवा विभाग
बीएसई लिमिटेड
फिरोज़ जीजाबाँय टावर्स
दलाल स्ट्रीट
मुंबई 400 001
बीएसई स्क्रिप कोड : 513599

उपाध्यक्ष
लिस्टिंग विभाग
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लि.
एक्सचेंज प्लाज़ा, सी-1, ब्लॉक-जी
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व)
मुंबई - 400 051
एनएसई प्रतीक (सिंबल) : HINDCOPPER

महोदय / महोदया,

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (HCL) के निदेशक मंडल की दिनांक 19 मई 2023 को 02:30 बजे से 07:40 बजे तक आयोजित बैठक का परिणाम निम्नानुसार है:-

- बोर्ड ने 31 मार्च, 2023 को बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), कैश फ्लो विवरण और 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन के विवरण के साथ-साथ कॉर्पोरेट जानकारी, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ अनुमोदित किया है। नोट्स बैलेंस शीट और लाभ और हानि के विवरण और खातों पर सामान्य नोट्स (एकल और समेकित) का हिस्सा हैं। कंपनी के 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए वित्तीय परिणामों का विवरण (एकल और समेकित) के साथ - साथ लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एक्सचेंज को अलग से भेजा जायेगा।
- बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए Rs.5/- अंकित मूल्य के प्रत्येक शेयर पर Rs. 0.92 प्रति शेयर की दर से लाभांश के भुगतान की सिफारिश कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक (AGM) में शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए अनुशंसा की है। लाभांश के भुगतान की तिथि AGM में लाभांश के अनुमोदन के पश्चात अलग से सूचित की जाएगी।
- बोर्ड ने इक्विटी के शेयरधारकों को एक या अधिक किस्तों में कंपनी के 5 रुपये अंकित मूल्य के 9,69,76,680 इक्विटी शेयरों की सीमा तक योग्य संस्थागत प्लेसमेंट पद्धति के माध्यम से शेयर जारी करके धन जुटाने की सिफारिश की है।
- बोर्ड ने 500 करोड़ रुपये तक के निजी नियोजन आधार पर सुरक्षित या असुरक्षित गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर या बॉन्ड की पेशकश, जारी करने और आवंटित करने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी लेने की सिफारिश की है।

उपर्युक्त सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के विनियम 30 के अनुसरण में सूचना एवं रिकॉर्ड के लिए प्रस्तुत किया गया है।

सधन्यवाद,

भवदीय

ह0/-

(सी. एस. सिंघी)

कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी